

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240752, 240712 website : pssou.ac.in

क्र. 661 / स्था. / प्रशा. / 2021

बिलासपुर, दिनांक: 07/12/2021

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 के द्वारा की गई है जो राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है। विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के नाम का मोनो (स्मृति चिन्ह) तैयार किया गया है। मोनो (स्मृति चिन्ह) का उपयोग विश्वविद्यालय की पहचान के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है जिसके उपयोग का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। विश्वविद्यालय की स्वीकृति/अनुमति के बिना अन्य किसी संस्था/व्यक्ति द्वारा इस मोनो (स्मृति चिन्ह) का उपयोग करना नियम विरुद्ध होगा। जिसे Copyright Act/ Trademarks Act का उल्लंघन मानते हुए संबंधित पर उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

मा. कार्यपरिषद के आदेशानुसार


  
कुलसचिव

पृ. क्र. 662 / स्था. / प्रशा. / 2021

बिलासपुर, दिनांक 07/12/2021

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. विभाग प्रमुख/प्रभारी वेब सेल (वेब साइट में अपलोड हेतु) को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

  
प्रमुख  
स्थापना/प्रशासन